

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (35) वन/2019

जयपुर, दिनांक: 4 SEP 2019

श्री प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:—Diversion of 0.0027 ha of forest land in favour of Airport Authority of India, Kishangarh, Ajmer for Construction of Communication post for Airport Kishangarh, District-Ajmer, Rajasthan.


संदर्भ:—आपका पत्रांक एफ 14 ( )2017/एफसीए/प्रमुवस/2900  
दिनांक 06.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रस्ताव के पार्ट I, II, III एवं IV में Construction of Communication post for Airport Kishangarh, District-Ajmer का विषय अंकित किया गया है जबकि जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया जाने वाले एफ.आर.ए सर्टिफिकेट Obstruction light works fill in Ajmer District के संबंध में जारी किया गया है।

अतः उक्त विरोधाभाषी स्थिति के संबंध में स्पष्ट करावें। साथ ही यह भी स्पष्ट करवाने का श्रम करावें कि प्रस्ताव के संबंध में स्वीकृति राज्य स्तर से जारी की जानी है या भारत सरकार के स्तर से जारी की जानी है।

भवदीया,

  
( मोनाली सेन )  
विशेषाधिकारी